मानव तस्करी के पुरुष उत्तरजीवियों की सहायता करना

मानव तस्करी पर सबसे प्रायः उद्धृत किए जाने वाले आँकड़े यह इंगित करते हैं कि मानव तस्करी से पीड़ित कुल व्यक्तियों में से लगभग आधे पुरुष और लड़के हैं; इसके बावजूद पुरुष पीड़ितों की पहचान और उपयुक्त देखरेख पूरे विश्व में सरकारों और देखभाल करने वालों के लिए विशाल चुनौती बनी हुई है। प्रायः पुरुषों और लड़कों की पहचान नहीं हो पाती और वे अपनी स्वतंत्रता से वंचित होकर खतरनाक परिस्थितियों में रहते हैं। जब वे अपनी तस्करी की परिस्थितियों से भागते हैं, तब उन सरकारों और सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने की संभावना होती है जिनके कार्यक्रम महिलाओं और लड़कियों को शरण और सहायता देने के लिए बनाए जाते हैं। शोषित व्यक्तियों के रूप में बर्ताव किए जाने की बजाए, उन्हें सीमा को अवैध रूप से पार करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किए जाने या जुर्माना लगाए जाने या तस्करी किए जाने के परिणामस्वरूप किए गए अपराधों के लिए आरोपों और कैद का सामना करने का अधिक जोखिम होता है।

ज़बरदस्ती श्रम के पुरुष पीड़ित खनन, वानिकी, निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, कारखानों, आतिथ्य और कृषि सहित लगभग सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं। हाल की अन्वेषणात्मक रिपोर्टों में एक बार में वर्षों तक दक्षिण पूर्व एशिया में मछली पकड़ने की नावों पर पुरुषों के गंभीर दुरुपयोग और घाना की वोल्टा झील में मछली पकड़ने के जहाज़ों पर ज़बरदस्ती श्रम में लड़कों के शोषण का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, हाल में 2022 के विश्व कप की तैयारी कर रहे कतर में निर्माण में, UK और संयुक्त राज्य में खेती में पुरुषों से ज़बरदस्ती काम करवाने की रिपोर्टें मिली हैं। पूरे विश्व में लड़कों और पुरुषों की सेक्स तस्करी छिपी हुई है और इसके बारे में कम रिपोर्ट किया जाता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों की बेहद कमी है। उदाहरण के लिए, रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि अफ़गानिस्तान में *बच्चा बाज़ी* सहित सेक्स तस्करी के लिए लड़कों को बेचा जाता है जहां पुरुष सामाजिक और सेक्स संबंधी मनोरंजन के लिए छोटे लड़कों का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य में, पुरुषों और लड़कों को अवैध वाणिज्यिक सेक्स उद्योग में बेचा जाता है।

हाल के अनुसंधान ने ऐसे पुरुषों और लड़कों पर मानव तस्करी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का उल्लेख किया है जिन्होंने संभवतः शारीरिक और सेक्स संबंधी दुर्व्यवहार और हिंसा का धमकियों, बुनियादी पोषण और स्वच्छता के अभाव और कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता न मिलने का अनुभव किया है। ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करने के बावजूद पुरुष उत्तरजीवी प्रायः स्वयं को ज़बरदस्ती श्रम के अपराध का पीड़ित नहीं मानते। इसकी बजाए,

उनके द्वारा अपनी श्रम तस्करी की स्थिति को बदनसीबी, उनका अपना "सीधापन" और श्रम प्रवास का "सामान्य" परिणाम मानने की संभावना होती है। इसे सामान्य रूप से स्वीकृत या परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं या रूढ़ियों से बल मिलता है जिनमें पुरुषों से स्वयं के लिए खड़े होने और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रवासन अधिकारियों, श्रम निरीक्षकों और पुलिस जैसे प्राधिकारी प्रायः पूर्वाग्रहों या पुरुषों को मानव तस्करी के लिए कम जोखिमपूर्ण मानने के रुझान या मानव तस्करी को केवल लड़कियों और महिलाओं की सेक्स तस्करी मानने के कारण पुरुषों पीड़ितों को स्वीकार नहीं करते।

तस्करी पीड़ितों की सहायता करने के लिए स्थापित अधिकांश कार्यक्रम पुरुष उत्तरजीवियों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान नहीं देते। बहुत से देशों में, भले ही प्राधिकारी किसी पुरुष तस्करी पीड़ित की पहचान कर लेते हैं, फिर भी वहां पुरुषों या लड़कों को विशेष सहायता, खासकर सुरक्षित आवास, प्रदान करने के लिए तस्करी-रोधक कार्यक्रमों की कमी है।

तस्करी के पुरुष उत्तरजीवियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सहायता तक पहुँच की आवश्यकता होती है, जैसे आवास, चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सहायता और रोज़गार सहायता जिन्हें व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले केंद्रों का माध्यम से प्रदान किया जाता है, उदाहरण के लिए:

- <u>आवास:</u> ऐसे आवास तक पहुँच जो सुरक्षित हो और जिसमें उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन हों। पीड़ित पुरुष उत्तरजीवियों के लिए बेघर शरणस्थल का उपयोग प्रायः अपर्याप्त रहता है।
- <u>स्वास्थ्य:</u> समकक्ष व्यक्ति से समकक्ष व्यक्ति परामर्श जैसी परंपरागत देखभाल के विकल्पों सहित विविध प्रकार की आघात-सूचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।
- <u>कानूनी सहायता:</u> यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता तक पहुँच कि पुरुष उत्तरजीवियों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, कानूनी कार्यवाहियों तक पहुँच हो और उन्हें अपने मूल देश से दूतावास संबंधी सेवाएं और खोए हुए वेतन तथा चोटों और बदले के अन्य रूपों के लिए मुआवज़ा प्राप्त करने में सहायता की जाए।
- <u>रोजगार संबंधी सहायता:</u> शिक्षा संबंधी सहायता तक पहुँच जिसमें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

हालाँकि कुछ सरकारों ने पुरुष पीड़ितों के लिए तस्करी-रोधक कार्रवाई में सुधार करने के लिए प्रगति की है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत-सा काम किया जाना है कि पुरुषों और लड़कों की उपेक्षा न की जाए या उन्हें कम सुविधा प्रदान न की जाए। सरकार को यह

सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवाएं सभी पीड़ितों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं, चाहे उनका लिंग कोई भी हो और आवश्यकता के अनुसार अनुकूल कार्यपद्धतियाँ अपनाई जाएं। तस्करी के सभी पीड़ितों को उच्च गुणवत्ता की वैयक्तिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, अपने जीवन का नियंत्रण फिर से प्राप्त करने के लिए सहयोग करना चाहिए, और उन्हें उपलब्ध विकल्पों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अधिकार देने चाहिए।